रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 1975/आषाढ़ 31, 1897
No 144] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 1975/ASADHA 31, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 22nd July, 1975

No. DRAWBACK/PN-56/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971 :—

For Sub-Serial No. 3802 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
3802	Mild Steel paper pins and clips.	
	(a) Copper coated.	Rs. 540·00 (Rupees five hundred forty only) per tonne.
	(b) Other than copper coated.	Rs. 346 50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974 and shall remain in force till 31st day of May, 1975.

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1975

सं० प्रति अदायगी/सा० सू०-56/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० स० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 3802 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
3802	साधारण इस्पात की पेपर पिनें तथा क्लिपें	
	(क) तांबा विलेपित	540.00 रु० (केवल पांच सौ चालीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) तांबा विलेपित से भिन्न	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

यह सार्वजनिक सूचना पहली नवम्बर, 1974 से लागू हुई मानी जाएगी और 31 मई, 1975 तक लागू रहेगी ।

No. DRAWBACK/PN-57/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 2902 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
2902	Leather Footwear with or without soles including rubber or plastic soles (but excluding leather footwear with tyre soles and Kolhapuri Chappals) and leather uppers of footwear.	
	(i) Where the F.O.B. value is less than Rs. 20/- per pair.	6% (Six percent only) of the F.O.B. value.

1	2	3
	(ii) Where the F.O.B. value is Rs. 20/- per pair or more but less than Rs. 40/- per pair.	4% (Four per cent only) of the F.O.B. value or Rs. 1·20 (Rupee One and Paise twenty only) per pair whichever is more.
	(iii) Where the F.O.B. value is Rs. 40/- per pair or more.	3·4% (Three point four per-cent only) of the F.O.B. value or Rs. 1·60 (Rupee One and paise sixty only) per pair whichever is more.

NOTE.—The above drawback rates are inclusive of drawback admissible on the packing materials used, if any.

This Public Notice shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of June, 1975.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-57/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971. (भारत के राजपत्र, ग्रसाधारण, दिनांक 25 ग्रगस्त, 1971 में प्रकाशित ग्रधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० ग्र०) के नियम 4 के ग्रधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना संख्या प्रतिग्रदायगी/पी० एन०, 1, दिनांक 15 ग्रक्तूबर, 1971 में प्रकाशित/पी० एन०-1, दिनांक 15 ग्रक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2902 ग्रौर तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
1	2	3
2902	चमड़े के जूते तल्ले सहित ग्रथवा तल्ले रहित जिस में रबड़ ग्रथवा प्लास्टिक के तल्ले शामिल हैं (परन्तु जिस में टायर के तल्ले वाले चमड़े के जूत ग्रौर कोल्हापुरी चप्पल शामिल नहीं है) तथा जूतों के ऊपरी हिस्से ।	
	(i) जहां पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य प्रति-जोड़ा 20 रु० से कम है ।	पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6 प्रतिशत (केवल छः प्रतिशत) ।
	(ii) जहां पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य प्रति जोड़ा 20 रु0 ग्रथवा ग्रधिक हो किन्तु प्रति जोड़ा 40 रु0 से कम हो ।	पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत) ग्रथवा 1.20 रु० (केवल एक रुपया ग्रौर बीस पैसे) प्रति जोड़ा जो भी ग्रधिक हो ।

1	2	3
	(iii) जहां पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य प्रति जोड़ा 40 रु० अथवा अधिक है।	पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3.4 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव चार प्रतिशत) अथवा 1.60 रु0 (केवल एक रुपया साठ पैसे) प्रति जोड़ा जो भी अधिक हो।

टिप्पणी.—प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दरों में इस्तेमाल की गयी पैकिंग सामग्री पर देय प्रतिअदायगी, यदि कोई हो, शामिल है।

यह सार्वजनिक सूचना जून 1975 के प्रथम दिवस से लागू हुई मानी जाएगी।

सी० भुजंगस्वामी, उप-सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975